



परिषद की कानपुर जोन के अन्तर्गत
नवनिर्मित/नवविकसित/निरस्तीकरण से रिकत आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों का

आवंटन/नीलामी

आवंटन/नीलामी तिथि: 26.02.2016 समय : प्रातः 10.30 बजे

स्थल : कार्यालय संयुक्त आवास आयुक्त (कानपुर जोन), आफिस काम्पलेक्स (भू-तल) केशवपुरम, कल्यानपुर, कानपुर

आवासीय सम्पत्तियों का विवरण (नीलामी द्वारा)				शैक्षणिक भूखण्डों का विवरण (नीलामी द्वारा)							
सम्पत्ति श्रेणी व संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	आरक्षित दर/अनुमानित मूल्य फ्री होल्ड सहित (रु. लाख में)	पात्रता	सेक्टर / भूखण्ड सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	वर्तमान भूमि दर + कार्पर शुल्क (कार्पर की स्थिति में) प्र.व.मी.	भूखण्ड का मूल्य दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी दर के अनुसार (रुपये में)	बैंक डाफ्ट द्वारा बयाना धनराशि (रुपये में)	अन्य विवरण		
अम्बेडकरपुरम योजना संख्या -3, कानपुर				केशवपुरम योजना संख्या -1, कानपुर							
आवासीय भूखण्ड 81.00 से 170.00 वर्गमीटर तक (01 नग)				शैक्षिक भूखण्ड (03 नग) (लीज पर)							
4/1002	107.80	16016.00 Per Sq.m.	अपंजीकृत आवेदक	जी / एस.सी.एच.-02	3151.86	19360.00	61020010.00	6102001.00	-		
हसंपुरम योजना संख्या -2, कानपुर				पीएस सेक्टर-आई	1507.50	19360.00	29185200.00	2918520.00	-		
मध्यम आय वर्ग भवन 53/127 प्रकार (01 नग)				पीएस सेक्टर-एम	1870.50	19360.00	36212880.00	3621288.00	-		
A-2308	127.50	19.90	अपंजीकृत आवेदक	अम्बेडकरपुरम योजना संख्या -3, कानपुर							
आवासीय भूखण्ड 171.00 वर्गमी. से अधिक (11 नग)				शैक्षिक भूखण्ड (08 नग) (लीज पर)							
1A-1215(OBC)@	549.50	12320.00 Per.Sq.m.	अपंजीकृत आवेदक	भूखण्ड सं.-ए	960.00	15730.00	15100800.00	1510080.00	-		
1A-1216 (GEN),	336.00	11200.00 Per.Sq.m.		भूखण्ड सं.-सी	2448.00	15730.00	38507040.00	3850704.00	-		
1A-1217 (GEN),	336.00	11200.00 Per.Sq.m.		1/पी.एस.	3040.92	15730.00	47833680.00	4783368.00	-		
1A-1218 (SC),	336.00	11200.00 Per.Sq.m.		सेक्टर-7/एनएस-6	1097.60	15730.00	17268394.00	1726840.00	-		
1A-1219 (GEN),	336.00	11200.00 Per.Sq.m.		सेक्टर-8/पीएस-1	894.00	15730.00	14062620.00	1406262.00	-		
1A-1220 (OBC)@	549.50	12320.00 Per.Sq.m.		सेक्टर-8/एनएस-1	1104.50	15730.00	17373785.00	1737379.00	-		
1A-1221 (GEN)@	483.00	12320.00 Per.Sq.m.		सेक्टर-8/एनएस-2	928.76	15730.00	14609395.00	1460940.00	-		
1A-1222 (GEN),	336.00	11200.00 Per.Sq.m.		9/पीएस-3	1507.75	15730.00	23716910.00	2371691.00	-		
1A-1223 (OBC),	336.00	11200.00 Per.Sq.m.		हसंपुरम योजना संख्या -2, कानपुर							
1A-1224 (SC),	336.00	11200.00 Per.Sq.m.		शैक्षिक भूखण्ड (05 नग) (लीज पर)							
3B-173	302.81	11200.00 Per.Sq.m.		सेक्टर-ए एनएस/पीएस	1390.50	12100.00	16825050.00	1682505.00	-		
व्यवसायिक श्रेणियों की सम्पत्तियों का विवरण (नीलामी द्वारा)				सेक्टर-बी एनएस/पीएस	1365.00	12100.00	16516500.00	1651650.00	-		
सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	आरक्षित दर/अनुमानित मूल्य फ्री होल्ड सहित (रु. लाख में)	एफ.ए. आर. कवरेज प्रतिशत	ग्राउण्ड ऊँचाई (मी.में)	अधिकतम ऊँचाई (मी.में)	सेक्टर-सी बी एनएस/पीएस	935.45	12100.00	11318945.00	1131895.00	-
केशवपुरम योजना संख्या -1, कानपुर				सेक्टर-5 बी एनएस	6960.00	12100.00	84216000.00	8421600.00	-		
व्यवसायिक भूखण्ड (01 नग)				सेक्टर-5 जी एनएस	1402.50	12100.00	16970250.00	1697025.00	-		
JC-1@	1308.13	39424.00	1.20	30%	12.50	लोहियापुरम योजना फतेहगढ़					
अम्बेडकरपुरम योजना संख्या-3 (फेज-2), कानपुर				शैक्षिक भूखण्ड (01 नग) (लीज पर)							
व्यवसायिक भूखण्ड (01 नग)				6वी पीएस	973.76	9680.00	9425997.00	942600.00	-		
6/COM-1/3	420.00	29120.00	1.50	55%	12.50	गणेश बिहार योजना - फतेहपुर					
हंसपुरम योजना संख्या-2, कानपुर				शैक्षिक भूखण्ड (01 नग) (लीज पर)							
व्यवसायिक भूखण्ड (04 नग)				सेक्टर-1, एनएस	708.00	4961.00	3512388.00	351240.00	-		
1B-2/1 @ (SC)	345.00	24640.00	-	-	-	(1) शैक्षिक भूखण्डों हेतु नीलामी की तिथि को संस्था का पंजीकरण न्यूनतम तीन वर्ष पुराना होना एवं संस्था की विगत तीन वर्षों की बैलेंसशीट चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित होना अनिवार्य है।					
1B-2/2 (GEN)	1093.95	22400.00	-	-	-	(2) उ.प्र. सरकार के निर्णयानुसार शैक्षिक संस्थाओं को समाज के सभी वर्गों के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों के लिए 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित कर प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही कुलदेय फीस में 50 प्रतिशत छूट भी दिया जाना अनिवार्य होगा।					
1B-2/3 (GEN)	1093.95	22400.00	-	-	-	(3) उ.प्र. सरकार एवं भारत सरकार द्वारा लागू विधिवि प्राविधान, अधिनियम एवं निर्देश आवंटनो पर प्रभावी होंगे।					
1A-8/1 @ (OBC)	1704.22	24640.00	-	-	-	(4) सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालयों / प्रचार अनुभाग मुख्यालय से विनियमावली सम्बन्धित पुस्तिका रु.1000.00 का भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है। जिसके अनुसार नीलामी में भाग लिया जाना है।					
सामुदायिक केन्द्र भूखण्ड (02 नग) {लीज पर}				(5) शैक्षिक भूखण्डों की श्रेणी का निर्धारण यू.पी.बोर्ड / सीबीएसई बोर्ड एवं अन्य द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप की जायेगी।							
Sector 5G@	834.75	12100.00	1.50	35%	10.00	नोट: अम्बेडकरपुरम योजना संख्या-3 के सेक्टर-ई (पाट) कानपुर के अन्तर्गत (जी+3) एफ-82 प्रकार के ब्रम्हावर्त अपार्टमेंट फ्लैटों का नम्बरिंग ड्रा लाटरी पद्धति से उक्त तिथि में किया जायेगा।					
Sector 5H@	1627.50	12100.00	1.50	35%	10.00	A) समस्त सम्पत्तियों की नीलामी शासनादेश / परिषद आदेशों एवं नियमों के अनुसार किया जायेगा।					
ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड (02 नग)				B) सम्पत्तियों की विस्तृत जानकारी तथा नीलामी में भाग लेने विषयक सील्ड बिड फार्म का प्रारूप निर्धारित मूल्य रु. 100/- जमा कर सम्बन्धित शहर / योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।							
7GH-02	8745.07	16914.00	1.50	40%	-	C) सम्पत्ति प्रबन्ध विस्तृत जानकारी सम्बन्धित शहर / योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।					
7GH-03	4692.03	16914.00	1.50	40%	-	D) आवासीय सम्पत्ति हेतु सम्पत्ति के कुल मूल्य का 05 प्रतिशत एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों में सम्पत्ति के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि का बैंक डाफ्ट जो उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद के पक्ष में सम्बन्धित नगर में भुगतान योग्य देय हो के साथ निर्धारित प्रारूप पर (आवेदन पत्र दिनांक 25.02.2016 तक तथा सील्ड बिड नीलामी से एक दिन पूर्व) कार्यालय कार्यदिवस में सांय 05:00 बजे तक जमा करना होगा। नीलामी तिथि को प्रातः 10:30 बजे तक टोकन निर्गत किये जायेगे।					
लोहियापुरम योजना, फतेहगढ़ (फर्सखाबाद)				E) आरक्षित भूखण्डों के विरुद्ध फर्म / पंजीकृत सोसाइटी पर कोई आरक्षण अनुमत्य नहीं है तथा पावर आफ एटार्नी एवं अधिकृत पत्र के आधार पर बोली लगाना अनुमत्य न होगा।							
व्यवसायिक भूखण्ड (01 नग)				F) प्रदेशन के सम्बन्ध में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।							
4/C-44 (GEN)	310.80	17920.00	1.20	40%	9.60	G) सम्पत्ति आवंटन / नीलामी सम्बन्धी नियम व शर्तों एवं शपथ पत्र की विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाइट http://www.upavp.com से प्राप्त की जा सकती है।					
योजना संख्या-1 छिबरामऊ (कन्जीज)											
संस्थागत भूखण्ड (01 नग)											
INS-4/101	1287.33	8686.00	1.50	35%	15.00						
बांदा योजना, बांदा											
हेल्थ सेंटर भूखण्ड (01 नग)											
Health Center @	1192.00	9240.00	1.00	40%	10.5						



परिषद ने ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिये

जन सुविधा केन्द्र

1800-180-5333 (टोल फ्री), 0522-2236803

की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं।

यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध है।

परिषद की विभिन्न योजनाओं के बकायेदारों हेतु एकमुश्त समाधान योजना (ओ.टी.एस.की सुविधा मार्च, 2016 तक उपलब्ध है। विशेष सूचना : परिषद के आवंटित/ग्राहकों की शिकायतों / समस्याओं के निस्तारण हेतु उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रत्येक माह के तृतीय बृहस्पतिवार को "परिषद दिवस" का आयोजन जौनल कार्यालय एवं परिषद के लखनऊ स्थित मुख्यालय कार्यालय पर प्रातः 10.00 से 12.30 बजे तक किया जाता है। अवकाश की दशा में परिषद दिवस का आयोजन अगले कार्य दिवस में होगा।

परिषद ने ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिये
जन सुविधा केन्द्र
1800-180-5333 (टोल फ्री), 0522-2236803
की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं।

यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध है।

परिषद की विभिन्न योजनाओं के बकायेदारों हेतु एकमुश्त समाधान योजना (ओ.टी.एस.की सुविधा मार्च, 2016 तक उपलब्ध है। विशेष सूचना : परिषद के आवंटित/ग्राहकों की शिकायतों / समस्याओं के निस्तारण हेतु उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रत्येक माह के तृतीय बृहस्पतिवार को "परिषद दिवस" का आयोजन जौनल कार्यालय एवं परिषद के लखनऊ स्थित मुख्यालय कार्यालय पर प्रातः 10.00 से 12.30 बजे तक किया जाता है। अवकाश की दशा में परिषद दिवस का आयोजन अगले कार्य दिवस में होगा।

आवास आयुक्त

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

सेवोत्तम प्रमाणित

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Web : <http://www.upavp.com> E-mail : info@upavp.com



(सेवोत्तम प्रमाणित)

